File No.NHM/18/4/0011/2024-ASHA-NHM

: 4047/2024/NHM

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

लिंक रोड नं. 03 पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल

क्र./एनएचएम/आशा/2024 भोपाल, दिनांक 15/07/2024

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, संभाग जबलपुर
मध्यप्रदेश

विषय:- जिला सिवनी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा प्रशिक्षण में प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच विषयक

संदर्भ:-1-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र. का पत्र क्रमांक/शिकायत/2024/4052 सिवनी दिनांक 21.06.2024

2.श्री प्रदीप पटेल अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, जिला सिवनी का पत्र क्रमांक: भा.म.संघ/सिवनी/702 सिवनी दिनांक 11.06.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ क्रमांक 1 के अनुसार जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी को अग्रेषित व मूलतः प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल को संबोधित पत्र में जिला सिवनी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता/ आशा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्य में व्यय की गई राशि में अनियमितता की सूक्ष्म जांच बावत लेख किया है।

पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं

- सिवनी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017 से वर्ष 2019 के मध्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एन.एम.) के अंतर्गत जिले में 6-7 मॉड्यूल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण) में आयोजित किये गये प्रति बैच अनुसार आशा कार्यकर्ता/ आशा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्य में व्यय की गई राशि के बिल व्हाउचरों में वृहद मात्रा में अनियमितता की गई है
- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि आवासीय व्यवस्था के तहत किसी अशासकीय सर्वसुविधा युक्त भवन को किराये पर लेकर जाना था जिसे ऐसा न कर संबंधित एन.एच.एम के जिला प्रभारी द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी कार्यालय परिसर में स्थित शासकीय आई.पी.पी.-6 प्रशिक्षण भवन में आयोजित किया गया और सभी शासकीय सामग्री (भवन व प्रशिक्षणार्थी को आवास हेतु रूकने/ ठहरने में लगने वाली सामग्री) का उपयोग किया गया किंतु संबंधित अधिकारी ने इन सबका फर्जी बिल लगाकर राशि आहरित किये थे

उप संचालक
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

CamScanner

- प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली अन्य सुविधा/ मानदेय में अत्यधिक कटौती कर वितरित किये थे। इस प्रकार इन्होंने राशि को फर्जी तरीके से वृहद मात्रा में आहरित कर आर्थिक भ्रष्टाचार किये हैं।

उक्त बिंदुओं पर 15 दिवस मे जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

15/07/2024.

(संचालक)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15/07/2024

क्र./एनएचएम/आशा/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

2- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र.

3- कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जिला सिवनी, म.प्र.

4- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.

5- श्री प्रदीप पटेल (अधिवक्ता) अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, जिला सिवनी, म.प्र. मो. 9425176186 कार्यालय ज्यारत नाका के पास, जबलपुर रोड, सिवनी म.प्र.

15/07/2024.

(संचालक)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

मध्यप्रदेश

उप संचालक

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.

CamScanner

सदंन में उत्तर देने की तिथि 24/03/2025

प्रश्नकर्ता श्री निलेश पुसाराम उईके

जिला पांढुर्ना एवं सिवनी में 04 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ वरिष्ठ खाद्य व औषधि निरिक्षक की नामवार व तिथिवार जानकारी

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट–ब

04 वर्षों से अधिक पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षकों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	जिले में पदस्थापना दिनांक
1.	सिवनी	कु0 शारदा विनोदिया	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	06/10/2008
2.		श्रीमती सोनू तिवारी	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	18/07/2019
3.	पांढुर्ना	निरंक	–	–

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

उप संचालक
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.

CamScanner